अनुदान संख्या 63 – विधि और न्याय
GRANT No. 63 - LAW AND JUSTICE

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	3020,11,00	3203,38,00	3171,90,63	-31,47,37
पूरक	Supplementary	183,27,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	135,00,00	135,01,00	49,61,90	-85,39,10
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				25,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹3147.37 लाख) मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹18327.00 लाख के पूरक अनुदान का 17 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹3147.37 lakhs) constituted 17 percent of the supplementary grant of ₹18327.00 lakhs obtained in March, 2020 and 1 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “2052”	Major Head “2052”				
सचिवालय–सामान्य सेवाएं	Secretariat - General Services				
मू.	O.	13804.00	13796.00	12474.49	-1321.51
पु.	R.	-8.00			
मुख्य शीर्ष “2014”	Major Head “2014”				
न्याय प्रशासन	Administration of Justice				
मू.	O.	48577.00			
पू.	S.	1.00	43366.79	42960.35	-406.44
पु.	R.	-5211.21			
मुख्य शीर्ष “2015”	Major Head “2015”				
चुनाव	Elections				
मू.	O.	142955.00	138006.00	137847.51	-158.49
पु.	R.	-4949.00			
मुख्य शीर्ष “2020”	Major Head “2020”				
आय और व्यय पर करों का संग्रहण	Collection of Taxes on Income and Expenditure				
मू.	O.	10893.00	10883.00	9952.52	-930.48
पु.	R.	-10.00			
मुख्य शीर्ष “2552”	Major Head “2552”				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	10123.00			
पू.	S.	1.00	1.00	..	-1.00
पु.	R.	-10123.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	69242.00			
पू.	S.	18325.00	107300.00	107300.00	..
पु.	R.	19733.00			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	5000.00			
			5683.21	5683.21	..
पु.	R.	683.21			

(I) ₹10163.00 लाख का प्रावधान (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹10124.00 लाख निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत मुख्य शीर्ष "2552" – "प्रशासन न्याय" के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹10163.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) remained wholly unutilized under five heads; of these ₹10124.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - "Administration of Justice" - under the following heads:-

(का) "न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं हेतु अनुदान" – ₹7559.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); और

(A) "Grants for infrastructural facilities for Judiciary" - ₹7559.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh); and

(खा) "ई–न्यायालय परियोजना चरण–II" – ₹2565.00 लाख।

(B) "E-Court Project Phase-II" - ₹2565.00 lakhs.

प्रावधान उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on schemes for the benefits of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "2052" के अंतर्गत – "सचिवालय – विधि कार्य विभाग" – ₹523.74 लाख की बचत (₹6088.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अन्य प्रशासनिक खर्चों, लघु कार्य एवं रख–रखाव, अन्य प्रभारों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को मूर्तरूप न दिए जाने से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2052" - "Secretariat - Department of Legal Affairs" - saving of ₹523.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6088.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards other administrative expenses, minor works and maintenance, other charges and non-materialisation of international conference.

(III) मुख्य शीर्ष "2014" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(III) Under Major Head "2014" - savings occurred under the following heads:-

(का) "ई–कोर्ट – ई–कोर्ट फेज –II" – ₹5161.86 लाख की बचत (₹23088.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ई–कोर्ट फेज–II स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(A) "E-Courts - E-Courts Phase-II" - saving of ₹5161.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23088.00 lakhs) was due to requirement of less funds by High Courts towards implementation of E-Court Phase-II scheme.

(खा) "अन्य व्यय – राष्ट्रीय न्याय प्रदान और कानूनी सुधार मिशन" – ₹556.54 लाख की बचत (₹3573.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अन्य प्रभारों के लिए सहायता अनुदान और स्थापना संबंधित खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(B) "Other Expenditure - National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms" - saving of ₹556.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3573.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards grants-in-aid, other charges and other establishment related expenses.

(IV) मुख्य शीर्ष "2015" के अंतर्गत – "लोक सभा और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान सभा चुनावों को एक साथ कराने के लिए प्रभार – राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अदायगी" – ₹4949.00 लाख की बचत (₹100000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लोक सभा चुनाव का आयोजन कराने के लिए प्रभारों से संबंधित महालेखाकार से लेखापरिक्षा प्रमाण पत्रों की प्राप्ति नहीं होने की वजह कम दावें की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2015" - "Charges for conduct of elections for Lok Sabha and State/Union Territory Legislative Assemblies when held simultaneously - Reimbursement to State/Union Territory Governments" - saving of ₹4949.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹100000.00 lakhs) was due to receipt of less claims owing to non-receipt of audit certificates from Accountant Generals towards charges for conduct of election for Lok Sabha.

(V) मुख्य शीर्ष "2020" – "निदेशन और प्रशासन – आयकर अपीलीय अधिकरण" के अंतर्गत ₹940.48 लाख की बचत (₹10893.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संयुक्त सचिवों की रिक्त पदों को न भरे जाने, चिकित्सक प्रतिपूर्ति लघु कार्यों और रख–रखाव संबंधित कम निधियों की

(V) Under Major Head "2020" - "Direction and Administration - Income Tax Appellate Tribunal" - saving of ₹940.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10893.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts of Joint Secretaries, requirement of

आवश्यकता होने और कोविड–19 प्रकोप की वजह से कार्यालय भवन के किराए/लाइसेंस फीस के बकाया राशियों के भुगतान न किए जाने की वजह से हुई।

less funds towards medical reimbursement, minor works and maintenance and non-payment of arrears of rent/licence fee of office buildings owing to outbreak of COVID-19.

(VI) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹637.44 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 10 और 51 प्रतिशत थीं।

(VI) Under two heads savings of ₹637.44 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 10 and 51 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹20133.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹18327.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

2. (I) The above savings were partly (₹20133.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹18327.00 lakhs under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2014" – "अन्य व्यय – राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी" – ₹400.00 लाख। वास्ताविक अधिक व्याय, तथापि, ₹399.00 लाख था।

(A) Major Head "2014" - "Other Expenditure-National Judicial Academy" - ₹400.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹399.00 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केंद्रीय सहायता/शेयर – न्याय पालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं" – ₹19733.00 लाख।

(B) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Infrastructure facilities for Judiciary" - ₹19733.00 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3602" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई – "केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केंद्रीय सहायता/शेयर – न्याय पालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं" – ₹683.21 लाख का अधिक व्यय (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर की सरकारों से दावें से संबंधित अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Infrastructure facilities for Judiciary" - excess of ₹683.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards claims from Union Territory Governments of Delhi and Jammu and Kashmir.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:–

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4070"	Major Head "4070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Administrative Services				
मू.	O.	13500.00			
पू.	S.	1.00	11001.00	4961.90	-6039.10
पु.	R.	-2500.00			

(I) "निदेशन और प्रशासन – आयकर अपीलीय अधिकरण के लिए भूमि का अर्जन और भवनों का निर्माण" के अंतर्गत ₹8535.41 लाख की बचत (₹11000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दिल्ली में निमार्ण कार्यों पर कोर्ट द्वारा स्टे आर्डर की वजह से नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन से कम मांगों की प्राप्ति होने और चालू कार्यों से संबंधित केंद्रीय लोक निमार्ण विभाग द्वारा कम मांग उठाए जाने के कारण हुई।

(I) Under "Direction and Administration - Acquisition of Land and Construction of Buildings for Income Tax Appellate Tribunal" - saving of ₹8535.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11000.00 lakhs) was due to receipt of less demand from National Buildings Construction Corporation owing to stay order by the Court on construction activities in Delhi and less demand raised by Central Public Works Department towards ongoing works.